फर्द–अहकाम

कार्यालय / न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट सलूम्बर
प्रार्थीः– एस.आर.जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जरिये श्री अनुज पारीख बनाम श्री देवी लाल मेघवाल व अन्य
किस्म मुकदमाः– प्रार्थना पत्र सरफेसी
पत्रावली संख्याः– 16/24 जीसीएमएस– सन् 2024

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
01.08.2024	प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रार्थी अधिवक्ता वित्तीय संस्था की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। चिन्तन –मनन किया गया। प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से पाया कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14(3) के तहत संलग्न शपथ–पत्र में सम्पती विवरण व प्रार्थना–पत्र में संलग्न सम्पति दस्तावेजो में भिन्नता आ रही है इस कारण भौतिक कब्जा नही दिया जा सकता है। अतः प्रार्थना–पत्र इसी स्तर पर निस्तारित किया जाकर प्रार्थी को निर्देश दिया जाता है कि वो कब्जा संबधी संपत्ती एवं दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन की जांच कर नियमानुसार पुनः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर एक नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर सलूम्बर (राज.)	